न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 52 / 2007

1 रूड़मल पुत्र सेडूराम जाति कुमावत निवासी बाय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर

अपीलांट

बनाम

1 फतेहचन्द पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति कुमावत निवासी बाय तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर
2 ग्राम पंचायत बाय पंचायत समिति दांतारामगढ़।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश जिला कलेक्टर सीकर
दिनांक 29.08.2007 सामान्य नियम 270 सी
राजस्थान पंचायत अधिनियम।

उपस्थिति :

1. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांकः— 03.01.2022

यह अपील विचारण न्यायालय न्यायालय जिला कलेक्टर सीकर में पारित निर्णय दिनांक 29.08.2007 विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम बाय की आबादी में अवस्थित भुखण्ड के सन्दर्भ में ग्राम पंचायत बाय में दिनांक 05.06.2004 को पट्टा संख्या 01 अपीलांट के पक्ष में जारी किया इस पट्टे के विरूद्व रेस्पोडेंट 01 द्वारा जिला कलेक्टर सीकर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई। विचाराधीन आदेश से निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलांट के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 01 को खारिज किया गया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रकिया की पालना कर अपीलांट के कब्जे एवं मकान को दृष्टिगत रखते हुये विधि अनुसार दिनांक 05.06.2004 को पट्टा संख्या 01 जारी किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 01 को इसके विरूद्व निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय से पट्टा खारिज करने में विधिक भूल की है। अत अपील स्वीकार कर जिला कलेक्टर सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2007 खारिज किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू 2006 (1) आर.जे. पेज 60 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है तो उन्हे कोई आपत्ति नही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू 2006 (1) आर.जे. पेज 60 में माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अभिनिर्धारित किया है कि धारा 270 सी के अन्तर्गत पारित आदेश की अपील सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व अपील प्राधिकारी को है।

प्रस्तुत प्रकरण में ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रकिया की पालना कर अपीलांट के कब्जे एवं मकान को दृष्टिगत रखते हुये विधि अनुसार दिनांक 05.06.2004 को पट्टा संख्या 01 जारी किया गया। रेस्पोडेंट संख्या 01 को इसके विरूद्व निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार नही है। विचारण न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना विचाराधीन निर्णय से पट्टा खारिज करने में विधिक भूल की है। अपील के स्तर पर रेस्पोडेंट संख्या 01 ने आदेशिका पर हस्ताक्षर कर अपील स्वीकार करने में कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया है। ऐसी स्थिति में उभयपक्ष की सहमती को दृष्टिगत रखते हुये अपील स्वीकार कर जिला कलेक्टर सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2007 को अपास्त (खारिज) किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 03.01.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सूरजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर